राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांक:— एफ.61(103)SSAAT/Website /2020/13573 दिनांक 16/4/21

कार्यादेश

(आदेश संख्या 31 /2021)

M/s B.R. Softech Pvt. Ltd.
90,Usha Vihar, Triveni Nagar,
Gopalpura Byepass, Jaipur- 302018

विषय :—Creation of Website and other Software Applications/ Modules including 5 years maintenance and updation के लिए कार्यादेश बाबत।

संदर्भ:—इस कार्यालय की निविदा संख्या 5/2020—21 एवं ई—प्रोक पोर्टल पर आप द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रस्ताव ।

उपरोक्त संदर्भ में विषयान्तर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रस्तावों की न्यूनतम दरें प्राप्त होने पर [illegible] कमेटी की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित कार्य सम्पादन हेतु आपकी दरें अनुमोदित की जाती है—

क्स	कार्य का नाम	अनुमोदित दरें रूपये (समस्त करों सहित)	कार्य पूर्ण करने के लिए [illegible] (कार्यादेश जारी करने [illegible]
1.	Creation of Dynamic Website	2,36,000.00	60 दिवस में
2.	सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु सोफ्टवेयर एप्लीकेशन्स/ मोड्यूल बनाना	39,333.33	30 दिवस में
3.	सामाजिक अंकेक्षण कार्य संबंधी सोफ्टवेयर एप्लीकेशनस/ मोड्यूल बनाना	39,333.33	75 दिवस
4.	सामाजिक अंकेक्षण मानदेय भुगतान संबंधी सोफ्टवेयर एप्लीकेशन्स/ मोड्यूल बनाना	39,333.33	75 दिवस
5.	मानव संसाधन प्रबंधन संबंधी सोफ्टवेयर एप्लीकेशन्स/मोड्यूल बनाना	39,333.33	90 दिवस
6.	अन्य आवश्यक सोफ्टवेयर एप्लीकेशनस/मोड्यूल बनाना	39,333.33	30 दिवस
7.	5 वर्ष के लिए सभी कार्यो का मैंटीनेंश एवं अपडेटेशन	1,18,000.00	
	कुल राशि —	5,50,666.65	

आपको निम्न शर्तों की पालना करना अनिवार्य होगा :–

1. निविदा शर्तों और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम (RTPP Act), 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम (RTPP Rules), 2013 की पालना करना होगा।
2. आप 7 दिवस की अवधि में नियमानुसार परफोरमेंस सिक्योरिटी जमा करायेगें तथा निर्धारित राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाप पेपर पर अनुबन्ध पत्र क्रियान्वित करवाकर आवश्यक रूप से कार्यारम्भ कर देंगे
3. उपरोक्त तालिका में क्रमांक चार पर अंकित कार्य **"सामाजिक अंकेक्षण मानदेय भुगतान संबंधी सोफ्टवेयर एप्लीकेशनृस / मोड्यूल बनाना "** की दरे अनुमोदित की गई है परन्तु वर्तमान में सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार के राजस्थान पैमेंट प्लेटफार्म में ई–पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण मानदेय भुगतान कार्य किया जा रहा है। अतः इस एप्लीकेशन का कार्यादेश आपके उपरोक्त कार्यादेश में सम्मिलित नही माना जावे।
4. उपरोक्त तालिका में क्रमांक छः पर अंकित कार्य **''अन्य आवश्यक सोफ्टवेयर एप्लीकेशनृस / मोड्यूल बनाना''** की दरे अनुमोदित की गई है परन्तु फिलहाल इस बाबत आपको कोई कार्यादेश नही दिया जाता है। यथा आवश्यकता आगामी 5 वर्षो में यदि किसी नवीन सोफ्टवेयर एप्लीकेशन / मोड्यूल की आवश्यकता हुई तो आपको उपयुक्त कार्यादेश दिया जा सकेगा।
5. सभी एप्लीकेशन्स एवं वेबसाईट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगी।
6. उपरोक्त समस्त कार्यों के सोफ्टवेयर एप्लीकेशन्स / डेटा राजस्थान सरकार के सर्वर पर होस्टिंग करवाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इस हेतु यदि कोई पत्राचार करने अथवा प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता होगी तो वह सोसायटी द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
7. डेटाबेस सर्वर लाइसेंस सोसायटी द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त लाइसेंस सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त करने पर होने वाला व्यय, यदि कोई होगा, तो सोसायटी द्वारा वहन किया जावेगा। आप द्वारा इस आइटम की राशि निविदा दरों में सम्मिलित नहीं की गई है। इस कार्य हेतु जो भी प्रक्रियात्मक कार्यवाही करवाने की आवश्यकता हो वह आप समय पर सुनिश्चित करायेगें ताकि निर्धारित अवधि में कार्य सम्पन्न हो सकें।
8. वेबसाईट एवं सोफ्टवेयर एप्लीकेशनस पर ऑडियो, विडियो, टैक्सट, इमेजेज, फोटो जियो टैग के जरिए अपलोड हो सके, इस व्यवस्था बाबत उचित प्रावधान उपरोक्त समस्त कार्यों में होना आपके स्कोप आफ वर्क का अंश (Part) होगा। अतः आप द्वारा उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।
9. सभी कार्यो के मोबाईल एप भी निविदा शर्तो के अनुसार बनानी होगी ।
10. सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियो के चयन हेतु सोफ्टवेयर एप्लीकेशनृस / मोड्यूल का प्रयोग सोसायटी की वेबसाईट के साथ–साथ आवश्यकतानुसार नरेगा, राजस्थान की वेबसाईट पर किया जावेगा।
11. निविदा शर्तो के अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु मैन पावर आप द्वारा इस सोसायटी कार्यालय को उपलब्ध नहीं करवाया जाना है परन्तु आप द्वारा निविदा में अपेक्षित सभी कार्यो का नियमित रूप से सम्पादन किया जाना है और सभी एप्लीकेशन्स का यूजर मैन्यूअल (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में) भी तैयार करके उपलब्ध करवाया जावेगा।
12. सोसायटी के स्टाफ एवं मास्टर ट्रेनर्स को इन एप्लीकेशन्स को उपयोग करने एवं इनको End Users को प्रशिक्षित करने हेतु उपयुक्त Capacity Building के लिए प्रशिक्षण आप द्वारा प्रदान करना होगा।
13. वेबसाईट एवं सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स / माड्यूल्स वेब एप्लीकेशन एवं एनड्रोयड एप्लीकेशन सपोर्टेड (Web Application & Android Application Supported) होंगी अर्थात मोबाईल पर भी वेबसाईट एवं सभी एप्लीकेशन्स खुल सकेंगी और इन पर कार्य किया जा सकेगा। यह आपके स्कोप आफ वर्क का अंश (Part) होगा।
14. वेबसाईट एवं समस्त एप्लीकेशन्स को पूर्ण अवधि (5 वर्ष) में निदेशक,SSAAT के निर्देशानुसार संतोषजनक रूप से आप द्वारा टेक्नीकली अपडेट करना होगा और नियमित रूप से सभी डेटा अपडेट करने होंगे परन्तु आगामी समय में यदि Technological Development अत्यधिक हो जावे और पूरी एप्लीकेशन को ही बदलने की आवश्यकता सोसायटी प्रबन्धन द्वारा महसूस की जावे तो सोसायटी इस बाबत नई एप्लीकेशन बनाने का कार्यादेश उपरोक्त तालिका के बिन्दु संख्या 6 पर अनुमोदित अतिरिक्त एप्लीकेशन

(Blank application) वाली दरों पर दे सकेंगे। नई एप्लीकेशन बनाने का कार्य टेक्नीकल अपडेशन का भाग नही माना जावेगा।

15. उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1, 2, 3, 5 एवं 7 (क्रसं 4 व 6 के अतिरिक्त) पर अंकित कार्यों के लिए अनुमोदित दरों एवं उपरोक्त शर्तों के अनुसार आपको कार्यादेश जारी किया जाता है।

16. उपरोक्त अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि किसी भी कार्य के लिए पृथक से आपको देय (payable) नहीं होगी।

17. नियत समयावधि में कार्य सम्पादन नहीं करने एवं निविदा शर्तो के उल्लंघन पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही निदेशक, SSAAT द्वारा की जा सकेगी।

18. उपरोक्त समस्त कार्य निदेशक, SSAAT के निर्देशन में इस कार्य के नॉडल अधिकारी – प्रोग्रामर, SSAAT के माध्यम से सम्पन्न किये जावेंगे।

यह आदेश शासन सचिव, ग्रा.वि.वि. सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, SSAAT की आई.डी. संख्या 1117/Secy/RD/2021 दिनांक 15.04.2021 द्वारा अनुमोदित है।

16.4.2021
(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT

क्रमांकः– एफ.61(103)SSAAT/Website/2020/2574-2581

दिनांकः 16/4/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. उप सचिव, श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार सह अध्यक्ष, शासी निकाय, SSAAT
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रा.वि.विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, SSAAT
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ एवं इस सोसायटी की वेबसाईट एवं अन्य डेटा राजस्थान सरकार की निर्धारित साईट पर Hoisting करवाने और डेटा सुरक्षित रूप से संधारित रखवाने बाबत उचित कार्यवाही कराने के लिए प्रेषित है।
4. निजी सचिव निदेशक, SSAAT
5. लेखाधिकारी, (प्रशासन एवं कार्यालयाध्यक्ष) और लेखाधिकारी, (सामाजिक अंकेक्षण) SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यों की विधिवत क्रियान्विति कराने की व्यवस्था करें। इन कार्यो के लिये उपयुक्त सामग्री संकलन सहित यथोचित तैयारियॉं तुरंत कराकर कार्य सम्पादन करावें।
6. प्रोग्रामर, SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त आदेश को ई–प्रोक पोर्टल, एसपीपी पोर्टल एवं नरेगा राजस्थान की वेबसाईट पर आज ही इस का प्रकाशन कराना सुनिश्चित करावें। साथ ही इन आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराते हुए समस्त कार्यों का सम्पादन करावें।
7. समस्त सहायक लेखाधिकारी, सूचना सहायक को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यो के लिए आवश्यक सूचनाएें तैयार करावें एवं उपयोगी रूप से उक्त सभी कार्य हो सकें इस हेतु उपयुक्त कार्यवाही सम्पादित करावें।
8. रक्षित पत्रावली

(दिनेश कुमार अग्रवाल)
कार्यालयाध्यक्ष, SSAAT